झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08/ज०सं०(नि०)ल०सिं०–राँची–04/2010 (पार्ट–II) ..../राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री गणेश राम, (ID- 3360) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल हुसैनाबाद सम्प्रति मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग के विरूद्ध लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अग्रिम प्राप्त कर कार्य नहीं कराने एवं अनियमितता बरतने के मामले में आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं०–4270 दिनांक–26.09.2014 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :–

(i) बिना पारित कार्य विपत्र के सहायक अभियंता को राशि दिया जाना। लाभुक समिति को सीधे बैंक खाते में दी जानेवाली राशि को सहायक अभियंता को दिया जाना।

(ii) फर्जी हस्त रसीदों को विपत्र मानकर अग्रिम का समायोजन कर सरकारी राशि का गबन करना।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित पहला आरोप को अंशतः प्रमाणित एवं दूसरा आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया है। सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक– 2418 दिनांक– 25.05.2017 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम से प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। वित्तीय नियमों की अनदेखी कर जिस योजना को लाभुक समिति से कराना था, उसके लिए सहायक अभियंता को अग्रिम दिया जाना तकनीकी रूप से पूर्णतः गलत है। अतएव द्वितीय कारण पृच्छा के बचाव बयान से असहमत होते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

(i) निन्दन

(ii) एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त आदेश को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

P.T.O

ज्ञापांक : 1322 / राँची, दिनांक : 05/03/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले०एवं हक०) झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्रबंधन) प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद / श्री गणेश राम, (ID- 3360) मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग (विभागीय अधिसूचना सं०–5617 दिनांक– 27.12.2018 के आलोक में) / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/19

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव